

12/07/22

पत्रावली पेश हुई। वकील वती कथका
वकील की ओर से कोई भी इपॉजिट
नहीं है। न्यायालय परिसर के बाहर क
बार आवाज लगवाई गई। वापस आ
आवाज के भी कोई भी धक्का नहीं है
जिससे धक्का होगा है कि वती अपने
बाद के प्रे इपॉजिट है 'लगा' बाद के
चलाना नहीं चाहिए। अतः वाद वती
अदालत हाजिरी अदालत परकी में खारिज किया
जाता है। पत्रावली प्रेसब शुभार लेकर न
से कम कारिज्य करतार है।

सहायक क्लर्क
जयपुर जिला-बीना (पत्र)